राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2282/2007/जयपुर.

मैसर्स एग्रो मैक राजस्थान, बनस्थली मार्ग, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–द्वितीय, वृत–प्रथम, प्रतिकरापवंचन राज., जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस. के. जैन, अधिकृत प्रतिनिधि .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 14/12/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी ने यह अपील उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 113/आरएसटी/2001–02/जी/2004–05 में पारित किये गये आदेश दिनांक 10.05.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, वृत्त–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 29, 65 व 58 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 27.10.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण कतिपय बिन्दुओं पर पुनः कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर विभाग की टीम द्वारा दिनांक 23.01.2001 को अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया जाने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा क्रमशः रूपये 2160/–, रूपये 4,63,817/– एवं रूपये 5000/– की पेस्टिसाईड्स की बिक्री बिना बिल जारी किये की गयी है। इस सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने पर व्यवहारी द्वारा जाहिर किया गया कि उनके द्वारा उक्त माल अप्रूवल के लिये भेजा गया है, किन्तु इस सम्बन्ध में अभिग्रहित किये गये दस्तावेजों यथा जारी चालान व बहियात में कोई उल्लेख नहीं पाया गया, ना ही लेखा–पुस्तकों में इस बाबत् कोई प्रविष्ठि पायी गयी। इसी प्रकार व्यवहारी द्वारा भावनगर (गुजरात) की फर्म को रूपये 7800/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट भिजवाया जाना पाया

लगातार.....2

गया, किन्तु उक्त राशि से सम्बन्धित कोई माल प्राप्त किया जाना नहीं पाया गया। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त राशि का माल करापवंचन की मंशा से खरीद/बेचान किया जाना अवधारित करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण आदेश दिनांक 27.10.2001 से किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2007 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रूपये 2160/– से सम्बन्धित आरोपित कर, ब्याज व शास्ति की पुष्टि की गयी। रूपये 4,63,817/– व रूपये 5000/– से सम्बन्धित प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए जांच उपरान्त पुनः आदेश पारित किये जाने के निर्देश दिये गये तथा रूपये 7800/– के डिमाण्ड ड्राफ्ट से सम्बन्धित अपील स्वीकार की गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि उनके द्वारा समस्त खरीद/बिक्री नियमानुसार की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी जांच के करापवंचित खरीद/बिक्री किया जाना अवधारित करते हुए करारोपण की कार्यवाही किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 23.01.2001 को किया गया था एवं विवादित कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.10.2001 अर्थात् 9 माह पश्चात् पारित किया गया है। उक्त अवधि के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष नियमित तारीख पेशियां प्राप्त की गयी हैं एवं प्रकरण में निरन्तर स्थगन प्राप्त किया गया है। 9 माह पश्चात् भी अपीलार्थी

लगातार.....2

व्यवहारी उक्त विवादित खरीद/बिक्री से सम्बन्धित नियमित दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपलब्ध नहीं करा सके हैं। ऐसी स्थिति में किसी संव्यवहार की प्रविष्ठि 9 माह पश्चात् भी लेखा–पुस्तकों में नहीं की जाने की स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत प्रतीत होता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा रूपये 4,63,817/– एवं रूपये 5000/– से सम्बन्धित बिक्री के सम्बन्ध में न्यायहित में जांच के उपरान्त पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता है। इसी प्रकार रूपये 7800/– के डिमाण्ड ड्राफ्ट के सम्बन्ध में अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने सम्बन्धी आदेश में भी प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

8. परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य